

EU 413275971

क्रम-सं०-183

सचिव प्राधिकरण

दिनांक 25/08/18

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

उब्बू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट



जिलाधिकारी

मीरजापुर

24/8

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018

श्रावण 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10

संख्या 832/आव-10-18-06गठन-16

लखनऊ, 16 अगस्त, 2018

अधिसूचना

प०आ०-214

चूँकि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986) की धारा 3 के अधीन संलग्न अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या 682/11-5-88-415-डी०ए०-87, दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा विशेष विकास क्षेत्र घोषित किया गया है और उक्त विशेष विकास क्षेत्र के लिए विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है ;

और, चूँकि, मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन सरकारी अधिसूचना संख्या 3634/9आ-5-96-415-डी०ए०-87, दिनांक 27 अगस्त, 1996 द्वारा विन्ध्याचल विशेष विकास क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों को सम्मिलित करके किया गया है जिसका प्रादेशिक क्षेत्र अनुसूची-2 में उल्लिखित है;

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि उक्त मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निरन्तर अस्तित्व बना रहना अनावश्यक और अवांछनीय हो गया है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित करते हैं;

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल



अग्रतर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 3634/9आ-5-96-415-डी0ए0-87, दिनांक 27 अगस्त, 1996 को विखंडित करते हैं।

आज्ञा से,  
नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव।

### अनुसूची-1

#### विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम
1	विन्ध्याचल उप नगर
2	गोपालपुर (राजस्व कोड नं0-211)
3	बैदर
4	रसूलपुर उर्फ शिवपुर
5	केवरान
6	कन्तित
7	अष्टभुजा तथा काली खोह को अलग-अलग केन्द्र मानते हुए ऐसे प्रत्येक केन्द्र के 200 मीटर की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र

### अनुसूची-2

मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र  
क-मीरजापुर विन्ध्याचल का नगर क्षेत्र  
ख-अधोलिखित 68 ग्राम

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	गोपालपुर	13	अनन्तपुर
2	सलेमपुर उर्फ बैदर	14	चन्दुईपुर
3	रसूलपुर उर्फ शिवपुर	15	लोहन्दी कला
4	अकोढी	16	लोहन्दी खुर्द
5	केबटान मु0 विन्ध्याचल	17	बिरमउवा
6	कन्तित	18	सिरसी बघेल
7	रानोबारी	19	टिकरा
8	राजपुर	20	पडरा कंगाल
9	बरईपुर	21	पडरा हनुमान
10	गोपालपुर	22	बरौधा
11	भडोसर	23	पहाड़ी
12	इटवा	24	जसौवर



क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
25	शाहपुर बीसा	47	गांगो
26	इन्दरपुर	48	परमान पट्टी
27	चिन्दलिख दूबे	49	दुर्गापुर
28	सरौली	50	माझीयार
29	चिन्दलिख गहरवार	51	धानी पट्टी
30	राजपुर	52	बटीटी
31	जयापुर	53	नुआँन
32	करतन	54	उच्छा पट्टी
33	मरुहना	55	किरतार तारा
34	आघौली	56	विजयपुरा
35	घीरूपुर	57	मसारी
36	लहौली मिश्र	58	पिपरा डांड
37	लहौली गौतम	59	दुबानी
38	देवपुर पचबल	60	बहरवा
39	चिरई राम	61	कुशहां
40	ककराही	62	कुडई
41	बढ़ौली	63	गंगाउत
42	बरबसपुर	64	लपसी
43	हरिहरपुर	65	अखनपुरा
44	खजूरी	66	मेवली
45	अनन्तराम पट्टी	67	मझगवां
46	पठान पट्टी	68	बील्ह

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 832 /Aath-10-18-06Gathan-16, dated August 16, 2018 :

No. 832 /Aath-10-18-06 Gathan-16

*Dated Lucknow, August 16, 2018*

WHEREAS the area mentioned in the enclosed SCHEDULE-1 has been declared as Special Development Area under section 3 of the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act., 1986 (U.P. Act. no. 9 of 1986) in Government notification no. 682/XI-5-88-415-DA-87, dated March 18, 1988, and the Vindhyachal Special Area Development Authority has been constituted for the said Special Development Area;

AND, WHEREAS, the Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority has been constituted by including certain areas in the Vindhyachal Special Development Area *vide*



Government notification no. 3634/9Aa-5-96-415-DA-87, dated August 27, 1996, the territorial area of which is mentioned in SCHEDULE-2;

AND, WHEREAS, the State Government is of the opinion that the continued existence of the said Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority is unnecessary and undesirable;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 42 of the said Act the Governor is pleased to dissolve the Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority from the date of publication of this notification in the *Gazette*;

The Governor in exercise of the powers under section 3 of the aforesaid Act read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), is further pleased to rescind Government notification no. 3634/9Aa-5-96-415-DA-87, dated August 27, 1996 with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,  
NITIN RAMESH GOKARAN,  
*Pramukh Sachiv.*

#### SCHEDULE-1

##### Territorial Area of Vindhyachal Special Area Development Authority

Serial no.	Name of Village
1	Vindhyachal upnagar
2	Gopalpur (Revenue Code no. 211)
3	Bendhor
4	Rasoolpur <i>alias</i> Shivpur
5	Kevran
6	Kantit
7	Taking Ashthbhujia and Kalikoh as two separate centres, and area within the radius of 200 metres from each such centre

#### SCHEDULE-2

##### Territorial Area of Mirzapur Vindhyachal Special Area Development Authority

(A) Municipal Area of Mirzapur Vindhyachal

(B) Mentioned below 68 Villages

Sl. no.	Village Name	Sl. no.	Village Name
1	Gopalpur	6	Kantit
2	Salempur <i>urf</i> Baidpur	7	Ranobari
3	Rasoolpur <i>urf</i> Shivpur	8	Rajpur
4	Akodhi	9	Baraipur



5	Kehtan mu. Vindhyachal	10	Gopalpur
11	Bhadhosar	40	Kakrahi
12	Itwa	41	Badhauri
13	Anantpur	42	Barbaspur
14	Chanduipur	43	Hariharpur
15	Lohandi Kala	44	Khajoori
16	Lohandi Khurd	45	Anantram Patti
17	Birmauwa	46	Pathan Patti
18	Sirsi Baghel	47	Gango
19	Tikra	48	Parman Patti
20	Padra Kangal	49	Durgapur
21	Padra Hanuman	50	Majhiyar
22	Baraudha	51	Dhani Patti
23	Pahari	52	Batiti
24	Jasauwar	53	Nuaun
25	Shahpur Beesa	54	Uchchha Patti
26	Indarpur	55	Kirtar Tara
27	Chindlikh Dubey	56	Vijaypura
28	Sarauli	57	Masari
29	Chindlikh Gahwar	58	Pipra Dand
30	Rajpur	59	Dubani
31	Jayapur	60	Bahrawa
32	Kartan	61	Kushhan
33	Maruhana	62	Kudai
34	Aaghauli	63	Gangaut
35	Gheerupur	64	Lapsi
36	Lahauli Misra	65	Akhanpura
37	Lahauli Gautam	66	Mewali
38	Devpur Pachbal	67	Majhgawan
39	Chirai Ram	68	Beelha

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 219 राजपत्र (हि०)-2018-(546)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2018-(547)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।





# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018

श्रावण 25, 1940 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10

संख्या 833/8-10-18-06 गठन-16

लखनऊ, 16 अगस्त, 2018

प०आ०-215

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि नीचे सारणी में उल्लिखित क्षेत्र, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र होगा जिसे मीरजापुर विन्ध्याचल विकास क्षेत्र के रूप में जाना जायेगा।

### सारणी

मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्र:-

क- मीरजापुर विन्ध्याचल का नगर क्षेत्र

ख- निम्नलिखित ग्राम क्षेत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	गोपालपुर
2.	सलेमपुर उर्फ बैदउर
3.	रसूलपुर उर्फ शिवपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम
4.	अकोढी
5.	केबटान मु० विन्ध्याचल
6.	कन्तित



क्रमांक	ग्राम का नाम
7.	रानोबारी
8.	राजपुर
9.	बरईपुर
10.	गोपालपुर
11.	भड़ोसर
12.	इटवा
13.	अनन्तपुर
14.	चन्दुईपुर
15.	लोहन्दी कला
16.	लोहन्दी खुर्द
17.	बिरमउवा
18.	सिरसी. बघेल
19.	टिकरा
20.	पडरा कंगाल
21.	पडरा हनुमान
22.	बरौधा
23.	पहाड़ी
24.	जसौवर
25.	शाहपुर बीसा
26.	इन्दरपुर
27.	चिन्दलिख दूबे
28.	सरौली
29.	चिन्दलिख गहरवार
30.	राजपुर
31.	जयापुर
32.	करतन
33.	मरुहना
34.	आघौली
35.	घीरूपुर
36.	लहौली मिश्र
37.	लहौली गौतम
38.	देवपुर पचबल

क्रमांक	ग्राम का नाम
39.	चिरई राम
40.	ककराही
41.	बढ़ौली
42.	बरबसपुर
43.	हरिहरपुर
44.	खजूरी
45.	अनन्तराम पट्टी
46.	पठान पट्टी
47.	गांगो
48.	परमान पट्टी
49.	दुर्गापुर
50.	माझीयार
51.	धानी पट्टी
52.	बटीटी
53.	नुऔन
54.	उच्छा पट्टी
55.	किरतार तारा
56.	विजयपुरा
57.	मसारी
58.	पिपरा डांड
59.	दुबानी
60.	बहरवा
61.	कुशहां
62.	कुड़ई
63.	गंगाउत
64.	लपसी
65.	अखनपुरा
66.	मेवली
67.	मझगवां
68.	बील्ह

आज्ञा से,  
नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव।



IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 833 /Aath-10-2018-06Gathan/16 dated 16 August, 2018 :

No. 835 /Aath-10-2018-06 Gathan/16

*Dated Lucknow, August 16, 2018*

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act's (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), the Governor is pleased to declare that the area mentioned in table below shall be development area to be known as Mirzapur Vindhyachal Development Area for the purposes of the said Act.

TABLE

**Territorial Area of Mirzapur Vindhyachal Development Authority**

(a) Municipal Area of Mirzapur Vindhyachal.

(b) Area of the following villages.

Sl. No.	Village Name
1	Gopalpur
2	Salempur uraf Baidpur
3	Rasoolpur uraf Shivpur
4	Akodhi
5	Kebtan mu. Vindhyachal
6	Kantit
7	Ranobari
8	Rajpur
9	Baraipur
10	Gopalpur
11	Bhadhosar
12	Itwa
13	Anantpur
14	Chanduipur
15	Lohandi Kala
16	Lohandi Khurd
17	Birmauwa
18	Sirsi Baghel
19	Tikra
20	Padra Kangal
21	Padra Hanuman
22	Baraudha
23	Pahari
24	Jasauwar
25	Shahpur Beesa
26	Indarpur
27	Chindlikh Dubey
28	Sarauli
29	Chindlikh Gahwar

Sl. No.	Village Name
30	Rajpur
31	Jayapur
32	Kartan
33	Maruhana
34	Aghauli
35	Gheerupur
36	Lahauli Misra
37	Lahauli Gautam
38	Devpur Pachbal
39	Chirai Ram
40	Kakrahi
41	Badhauri
42	Barbaspur
43	Hariharpur
44	Khajoori
45	Anantram Patti
46	Pathan Patti
47	Gango
48	Parman Patti
49	Durgapur
50	Majhiyar
51	Dhani Patti
52	Batiti
53	Nuaun
54	Uchchha Patti
55	Kirtar Tara
56	Vijayapura
57	Masari
58	Pipra Dand



Sl. No.	Village Name
59	Dubani
60	Bahrawa
61	Kushhan
62	Kudai
63	Gangaut

Sl. No.	Village Name
64	Lapsi
65	Akhanpura
66	Mewali
67	Majhgawan
68	Beelha

By order,  
NITIN RAMESH GOKARAN,  
Pramukh Sachiv.

1452  
सफा यत्न 0

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 220 राजपत्र (हि०)-2018-(548)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2018-(549)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।



क्रम-संख्या—207



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—

डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018

माद्रपद 22, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—10

संख्या 934/आठ-10-18-06 गठन-16

लखनऊ, 13 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प०आ०—235

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 833/आठ-10-18-06 गठन-16, दिनांक 16 अगस्त, 2018 द्वारा इस रूप में घोषित "मीरजापुर विन्ध्याचल विकास क्षेत्र" के लिए निम्नानुसार एक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण

1	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/आयुक्त, मीरजापुर-विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर	अध्यक्ष
2	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	उपाध्यक्ष
3	सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
4	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
5	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
6	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ अथवा नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
7	मुख्य नगर अधिकारी, मीरजापुर	पदेन सदस्य



8	जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	पदेन सदस्य
9	नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के सभासदों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित 04 सदस्य	सदस्य
10	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 03 सदस्य	सदस्य

आज्ञा से,  
नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 934/Aath-10-18-06 Gathan-16, dated September 13, 2018:

No. 934/Aath-10-18-06 Gathan-16  
Dated Lucknow, September 13, 2018

IN exercise of the powers under section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974), the Governor is pleased to constitute as under an authority, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, to be known as the Mirzapur Vindhyachal Development Authority of the Mirzapur Vindhyachal Development Area declared as such in Government notification no. 833/Aath-10-18-06 Gathan-16, dated August 16, 2018.

**Mirzapur Vindhyachal Development Authority**

1	Appointed by State Government/The Commissioner, Mirzapur Vindhyachal Division, Mirzapur	Chairman
2	Appointed by State Government/District Magistrate, Mirzapur	Vice Chairman
3	The Secretary to the State Government Incharge of Housing Department or his nominee	Ex-Officio Member
4	The Secretary to the State Government Incharge of Finance Department or his nominee	Ex-Officio Member
5	Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh	Ex-Officio Member
6	Managing Director, U. P. Jal Nigam Lucknow or nominee	Ex-Officio Member
7	Mukhya Nagar Adhikari, Mirzapur	Ex-Officio Member
8	District Magistrate, Mirzapur	Ex-Officio Member
9	04 member elected by Sabhasads of the Nagar Palika Parishad, Mirzapur from amongst themselves	Member
10	03 member nominated by the State Government	Member

By order,  
NITIN RAMESH GOKARN,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-262 राजपत्र (हि०)-2018-(699)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2018-(700)-200 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।